

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

भारदा देवी

बनाम

जड़ाव वगै.

किस्म मुकदमा :- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटी एक्ट
2014 / 00168

मु.नं. 52 / 14 एवं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
11.11.19	<p>पत्रावलो पेश हुयी वकाल प्रतिवादिगन ने उपस्थित होकर प्रतिवादो no १ से सम्पक न होने बाबत कथन किया तथा प्रतिवादो no १ का फौत होने के कारण तथा उसके वारिसान से कोई सम्पक न होने तथा वादिगण द्वारा भी प्रतिवादिगण को अनावश्यक पक्षकार बनवाने हेतु किसी प्रकार का कोई प्राथना पत्र पेश न करने के कारण दावा चलने योग्य न होने का कथन किया वकाल प्रार्था ने भी वादिगण से कोई सम्पक नहीं होने के कारण/ फौत प्रतिवादो के वारिसो को पक्षकार बनवाने म असमथता व्यक्त का अतः वादिगण व् प्रतिवादिगण सम्पक से आभाव म दावा चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है अतः अदम पेरवी के कारण दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावलो फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो</p>	